

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक, रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक 13.07.24

विषय:- बिहार के 19 न्यायमंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक पद अर्थात् कुल 19 (उन्नीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2733 दिनांक 07.04.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-28776 दिनांक 31.03.2026 द्वारा बिहार के 19 न्यायमंडलों यथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक पद अर्थात् कुल 19 (उन्नीस) पदों को सृजित करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।

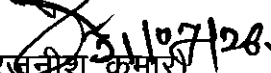
2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद के सम्मुख वेतनमान में ₹ 6,11,50,740/- (छः करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार सात सौ चालीस रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से बिहार के 19 न्यायमंडलों यथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक पद अर्थात् कुल 19 (उन्नीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय-बजट शीर्ष वही होगा, जो राज्य के व्यवहार न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों का होगा एवं संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-07/2026सा0प्र0 1.3.27.../पटना-15, दिनांक 31.07.26

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-28776 दिनांक 31.03.2026 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-2733 दिनांक 07.04.2026/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.07.2026 के मद संख्या-23 के प्रसंग में/संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31/07/26,
सरकार के अपर सचिव।

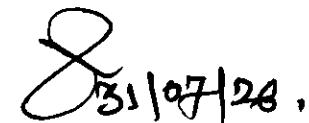
Statement of Annual Estimated Expenditure Chart.

SL. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 58%	Total Annual Estimated Expenditures
1.	District & Additional Sessions Judge	19	144840-194660 (J-5)	169750	38703000	22447740	61150740
						Total	Rs. 6,11,50,740

{Total (in words) : Rupees Six Crore, Eleven Lakh, Fifty Thousand and Seven Hundred Fourty Only.}

In addition to above mentioned expenditure, other allowances admissible to the officers of Judicial service from time to time shall also be payable as mentioned below:-

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Children Education Allowance | 7. Home Ordely/Domestic Help Allowance | 13. Dress Allowance |
| 2. Concurrent Charge Allowance | 8. House Rent Allowance | 14. Special Pay for Administrative Work |
| 3. Conveyance/Transport Allowance | 9. Furniture & Air Conditioner Allowance | 15. Sumptuary Allowance |
| 4. Earned Leave Encashment | 10. LeaveTraval Concession/Home Traval Concession | 16. Phone/Mobile Allowance |
| 5. Electricity and Water Charges | 11. Medical Allowance | 17. Transfer Grant |
| 6. Higher Qualification | 12. Newspaper and Magazine Allowance | |



(Rajnish Kumar)

Additional Secretary to the Govt.